



2026:AHC:19772

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 157/2026

सीतापति

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : भगवान दत्त पांडे, सपना देवी
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोष के लिए दायर की गई है:-

"परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात् चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी, गोरखपुर, जिला-गोरखपुर को यह आदेश दिया जाए कि वह वाद संख्या 1143/2023, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 202354053100001143 (सीतापति बनाम असमान), उ.प्र. चकबंदी जोत अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत, जो दिनांक 12.07.2023 से प्रत्यर्थी संख्या 2 के न्यायालय में लंबित है, का विनिश्चय इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयबद्ध अवधि के भीतर करे।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को, यदि उक्त मामले को शीघ्रता से विनिश्चित करने का निदेश जारी किया जाए तो, कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपरोक्त परिप्रेक्षा में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका को अंततः निस्तारित करना उचित समझता है, बिना रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई अवलोकन किए, चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या-2) को यह निर्देश देते हुए कि वे उक्त मामले को विधि के अनुसार, एक आख्यापक और सकारण आदेश के माध्यम से, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से **पाँच माह** की अवधि के भीतर, विनिश्चित करें।

5. उपरोक्त निदेश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

29 जनवरी, 2026

वीआर